

⇒ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्या, जयपुर ।

क्रमांक : एफ-4/मु./याता/लेखा(32)/2016 / 74 दिनांक:-16.2.16

कार्यालय-आदेश

मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में डीलक्स आगार द्वारा जयपुर-वीरात्रामाता-जयपुर मार्ग पर संचालित डीलक्स स्लीपर वाहन सेवा में विरात्रामाता से चार सीटे (संख्या 13,14,15,16) आरक्षित की जाती है । जिन पर विरात्रामाता से यात्री मिलने पर परिचालक नियमानुसार टिकिट जारी करेगा तथा विरात्रामाता से यात्री नही मिलने पर परिचालक बाडमेर, जोधपुर एवं अन्य स्थानों से इच्छुक यात्रियों को नियमानुसार टिकिट जारी कर यात्रा करा सकेगा ।

उक्त सीट आरक्षण व्यवस्था वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रभावी सीट आरक्षण के अतिरिक्त होगी ।

उक्त आदेश श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदन पश्चात जारी किए जा रहे है जो तुरन्त प्रभावी होंगे ।

(शकेश राजोरिया)

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक : एफ-4/मु./याता/लेखा(32)/2016 / 74 दिनांक:-16.2.16

- प्रतिलिपि:-1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक राजस्थान परिवहन निगम, मु. जयपुर ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर ।
 3. उप महा प्रबन्धक(आई.टी.)को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वर्णित आदेश वेबसाईड पर उपलब्ध करावे एवं तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे ।
 4. कार्यकारी प्रबन्धक, जनसम्पर्क राजस्थान परिवहन निगम, मु. जयपुर ।
 5. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम, डीलक्स आगार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरक्षित सीटों की नियमित समीक्षा करे ।
 6. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगमआगार ।
 7. आदेश पत्रावली ।

(राम गोपाल शर्मा) 16/2

कार्यकारी प्रबन्धक (संस्थापन/यातायात)

77337
16/2

M. Ashok T
16/2